उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या– 266 /पॉच–8–2018–म(347)/2012
लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

डा0 श्वेता सिंह, चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के विरूद्ध प्रथम नियुक्ति के अनुपालन में योगदान करने के उपरान्त बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–358/पॉच–8–2013–म(347)/2012, दिनांक 11 फरवरी, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा आरोपों की जॉच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 28 फरवरी 2014 अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र दिनांक 29.06.2017 के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायी गयी।

2– डा0 श्वेता सिंह के विरूद्ध जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या पर कार्यवाही प्रचलित है। डा0 श्वेता सिंह को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबादी के अधीन सेवा में पुनः योगदान कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के अधीन कार्यभार ग्रहण करके योगदान आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। डा0 श्वेता सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

उमेश मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या– 266 (1)/पॉच–8–2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2– अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3– अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि वह सम्बन्धित अधिकारी को तत्काल योगदान कराकर शासन को योगदान आख्या उपलब्ध करायें।
5– सम्बन्धित अधिकारी। (द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद)
6– गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रमेश कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

Ruo-7